नियम 26 : अधिप्रमाणन का ढंग

(1) सभी आवेदन, जिसके अन्तर्गत प्रत्युत्तर भी है यदि कोई हो, सूचना, विवरणी जिसके अन्तर्गत जावक और आवक पूर्ति के ब्यौरे भी हैं या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अधीन या इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिसूचित हस्ताक्षर या सत्यापन की किसी अन्य रीति के माध्यम से सत्यापित यथा विनिर्दिष्ट डिजीटल हस्ताक्षर के साथ प्रमाणपत्र या ई–हस्ताक्षर के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगाः

[1][**परन्तु** यह और कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से सत्यापित दस्तावेज या आवेदन प्रस्तुत करेगा।

[2][**परन्तु** यह और कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, को 21 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान, धारा 39 के तहत् **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी को इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से सत्यापित करने की भी अनुमति हैः

परन्तु यह भी कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, को 27 मई, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान, धारा 37 के तहत् **प्ररूप जीएसटीआर–1** में प्रस्तुत किए जाने वाले जावक प्रदायों के ब्यौरे को इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोर्ड (ईवीसी) के माध्यम से सत्यापित करने की भी अनुमति है।**]**

[3][**परन्तु** यह भी कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, को 27 अप्रैल, 2021 से [4][31 अक्टूबर, 2021**]** तक की अवधि के दौरान, धारा 39 के तहत् **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी को एवं धारा 37 के तहत् **प्ररूप जीएसटीआर–1** में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा

---

1 दिनांक 1 नवंबर, 2021 से सभी परंतुकों का लोप किया जायेगा–अधिसूचना क्रमांक 32/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.08.2021।

2 अधिसूचना क्रमांक 48/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 19.06.2020 द्वारा द्वितीय परंतुक के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 27.05.2020)। पूर्व में अधिसूचना क्रमांक 38/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 05.05.2020 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 21.04.2020)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

''**परन्तु** और कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, को 21 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 तक की अवधि के दौरान, धारा 39 के तहत् प्ररूप **जीएसटीआर–3ख** में प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी को इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से सत्यापित करने की भी अनुमति है।''

3 अधिसूचना क्रमांक 7/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.04.2021 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 27.04.2021)।

4 अधिसूचना क्रमांक 32/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.08.2021 द्वारा ''31 अगस्त, 2021'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। पहले अधिसूचना क्रमांक 27/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.06.2021 2021 द्वारा ''31 मई, 2021'' के स्थान पर ''31 अगस्त, 2021'' प्रतिस्थापित किया गया था (प्रभावशील दिनांक 31.05.2021)।

का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किये जाने वाले जावक प्रदायो के ब्यौरे को इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से सत्यापित करने की भी अनुमति है।]

(2) प्रत्येक दस्तावेज जिसके अन्तर्गत आनलाईन प्रस्तुत विवरणी भी है, इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से हस्ताक्षरित या सत्यापित की जाएगी,–

(क) व्यष्टि की दशा में, व्यष्टि स्वयं या जहां वह भारत से अनुपस्थित है उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से, और जहां व्यष्टि उसके कार्यों को करने के लिए मानसिक रूप से अशक्त है, उसके, संरक्षक द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा;

(ख) हिन्दु अविभक्त कुटुंब की दशा में, कर्ता और जहां कर्ता भारत से अनुपस्थित है या उसके कार्य करने के लिए मानसिक रूप से अशक्त है, कुटुंब कि किसी अन्य व्यस्क सदस्य द्वारा या ऐसे कर्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;

(ग) कम्पनी की दशा में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;

(घ) सरकार या किसी सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण की दशा में उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा;

(ड.) फर्म की दशा में, उसके भागीदारी द्वारा जो अवयस्क न हो या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;

(च) संगम की दशा में, संगम के किसी सदस्य द्वारा या व्यक्तियों या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;

(छ) न्यास की दशा में, न्यासी द्वारा या किसी न्यासी या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा या;

(ज) अन्य व्यक्ति की दशा में, ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम हो, या धारा 48 के उपबंधों के अनुसरण में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा।

(3) इस अध्याय में विनिर्दिष्ट सभी सूचनाएं, प्रमाणपत्र और आदेश उचित अधिकारी द्वारा [5][सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट या हस्ताक्षर के किसी अन्य ढंग द्वारा सत्यापित ई–हस्ताक्षर या इस निमित्त बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित सत्यापन के माध्यम से] डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से ऐसी सूचनाएं या प्रमाणपत्र या आदेशों को जारी करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से जारी किया जाएगा।

---

[5] अधिसूचना क्रमांक 7/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.06.2017 द्वारा ''या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.06.2017)।